

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 13.04.2020

निदेशक (ईएसआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर।

विषय:- ई. एस. आई. के अधीन पदस्थापित चिकित्सकों में 50 चिकित्सकों की सेवाएँ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को दिये जाने बाबत।


संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के निपटने के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई. एस. आई. के अधीन पदस्थापित चिकित्सकों में 50 चिकित्सकों की सेवाएँ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को सौंपे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि ई. एस. आई. के अधीन पदस्थापित चिकित्सकों सेवाएँ जो आपके आदेश दिनांक 26.03.2020 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को सौंपी गई थी, को तुरन्त प्रभाव से वापिस ली जाती है। अतः समुचित आदेश जारी कर, इस विभाग को अवगत करावें।


भवदीय



(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
4. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर
8. निजी /रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव